न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी : 89/2014 (RCMS NO. 2014/00072)

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
सुरेश कुमार पुत्र नारायण जाति राजपूत निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली		1. प्रकाश सिंह पुत्र ओटरमल सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव

पंचायत निगरानी : 37/2016 (RCMS NO. 2016/00383)

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
प्रकाश सिंह पुत्र ओटरमल सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली		1. शंकरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव

पंचायत निगरानी : 06/2018 (RCMS NO. 2016/00025)

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
शंकरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली		1. प्रकाश सिंह पुत्र ओटरमल सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मो. शरीफ काजी एवं मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 31/12/2018

प्रार्थी सुरेश कुमार एवं शंकरसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता मो. शरीफ काजी ने प्रथम निगरानी एवं तृतीय निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव पंचायत समिति बाली के मिसल संख्या 73/2006—07 एवं संकल्प संख्या 5(2) दिनांक 26.02.2007 की पालना में जारी पट्टा संख्या 15 पट्टा बुक 24 के विरूद्ध पेश की है तथा प्रार्थी प्रकाश सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित ने द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान

अति० जिला कलक्टर, पाली

पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव पंचायत समिति बाली के मिसल संख्या 24/2001–02 एवं संकल्प संख्या 3 (7) दिनांक 06.07.2009 की पालना में जारी पट्टा बुक संख्या 24 पट्टा संख्या 34 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। तीनों ही निगरानीयाँ जिस आराजी के पट्टे के विरूद्ध पेश की गई, उक्त आराजी एक ही होने से पत्रावलियों को समेकित किया जाकर पत्रावलियों में निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी श्री सुरेश कुमार एवं शंकरसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत शिवतलाव ने अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाश सिंह के हक में जारी पट्टा संख्या 15 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विपरीत जाते हुए जारी किया है। जो काबिल निरस्त है। अप्रार्थी प्रकाश सिंह ने अपने 50 वर्ष पुराने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति में रिक्त स्थान भर कर पेश किया। जिसमें जिस आराजी का पट्टा जारी करना है उसका नक्शा व नाप के बारे में कोई अंकन नहीं है। इसके पश्चात मौका निरीक्षण कर आपती इश्तिहार जारी किया, जो कहां पर चस्पा किया गया, इसका इश्तिहार के पृष्ठ भाग पर कहीं अंकित नहीं किया गया है। जबकि आपती इश्तिहार मकान के सामने सहज दृश्य स्थल पर चस्पा करना चाहिए था। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में दो व्यक्तियों के बयान लिए गए है, वे एक प्रिंटेड प्रफोर्मा में लिए गए है तथा दोनों के बयान कार्बन रख कर भरे गए है मात्र नाम अलग–अलग अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में पंचायत नियमों की अनदेखी की है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया ही फर्जी है। अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है, वह मकान का न होकर भूखण्ड है तथा वह अप्रार्थी का पुश्तैनी मकान नहीं है। जिस भुखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी कर रहा है व उसका उस पर कब्जा है तथा प्रार्थी ने इस पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा प्रस्ताव दिनांक 10.06.2018 को लेना अंकित है, जबकि पंचायत नियमों के अनुसार पंचायत बैठक प्रत्येक माह की 20 व 5 तारीख को होती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है।

श्री प्रकाशसिंह की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने वक्त बहस निगरानी संख्या 2 के बारे में कथन किया कि ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा अप्रार्थी श्री शंकरसिंह के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 34, प्रार्थी के कब्जासुदा, पट्टा सुदा पुश्तैनी भूमि का है। पट्टा संख्या 34 के उत्तर में रघुनाथसिंह पुत्र ओटसिंह का भूखण्ड नहीं बल्कि प्रार्थी के ही भूखण्ड का शेष हिस्सा है। अप्रार्थी स्वयं को जैर निगरानी भूखण्ड पर 50 वर्ष पूर्व से काबिज बता रहा है। जबकि अप्रार्थी का भूखण्ड पर कोई हक जाहिर नहीं होता है। अप्रार्थी के हक में 18 फीट बाई 15 फीट कुल 270 वर्गफीट भूमि का जारी किया गया है। जबकि यह सम्पूर्ण भुखण्ड 30 फीट बाई 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट का प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या 15 दिनांक 10.06.2008 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उसी भूखण्ड में से कुछ भाग को अपना बताते हुए ग्राम पंचायत से कुटरचना कर जैर निगरानी पट्टा जारी करा दिया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में नियमों में यह स्पष्ट है एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी नहीं किए

अति० जिला कलक्टर, पाली

जा सकते है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल 24 दिनांक 12.01.2002 को दर्ज की गई है तथा इसकी प्रथम आदेशिका की दिनांक में कांट छांट कर 15.01.2002 को 15.01.2005 किया गया है। आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि यह आदेशिका दिनांक 15.01.2002 को अंकित की गई है। इसके पश्चात दुसरी आदेशिका लगभग चार वर्ष पश्चात दिनांक 10.12.2005 को अंकित की गई है, चौथी आदेशिका दिनांक 10.02.2006 को दर्ज की गई व इसमें निर्णय हेतु आगामी बैठक में पत्रावली पेश होने का अंकन है, लेकिन इसके पश्चात पत्रावली लगभग तीन वर्ष पश्चात दिनांक 06.07.2009 को पेश हुई। उपरोक्त सभी आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा एक फर्जी दस्तावेज है, जो मात्र ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी श्री शंकर सिंह का फायदा पहुॅचाने की नियत से लगभग पांच साल में प्रक्रिया चला कर जारी किया गया है। अप्रार्थी शंकरसिंह के प्रार्थना पत्र में जिस आराजी का पट्टा जारी करना है उसका नक्शा व नाप के बारे में कोई अंकन नहीं है। इसके पश्चात मौका निरीक्षण कर आपत्ती इश्तिहार जारी किया, जो कहां पर चस्पा किया गया, इसका इश्तिहार के पृष्ठ भाग पर कहीं अंकित नहीं किया गया है तथा इश्तिहार किस दिनांक को जारी किया गया है इसका अंकन कहीं नहीं है, न ही इश्तिहार या अन्य कोई कार्यवाही में ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है। जबकि आपती इश्तिहार मकान के सामने सहज दृश्य स्थल पर चस्पा करना चाहिए था। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में दो व्यक्तियों के बयान लिए गए है, वे एक प्रिंटेड प्रफोर्मा में लिए गए है तथा दोनों के बयान कार्बन रख कर भरे गए है मात्र नाम अलग–अलग अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में पंचायत नियमों की अनदेखी की है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया ही फर्जी है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा तीनों पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तीनों ही निगरानियाँ एक ही आराजी से संबंधित होने से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए विक्रय विलेख के संबंध में विवेचन किया गया। ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा प्रकाश सिंह पुत्र ओटर मल सिंह के हक में मिसल संख्या 73/2006–07 एवं संकल्प संख्या 5(2) दिनांक 26.02.2007 की पालना में जारी पट्टा बुक 24 में पट्टा संख्या 15 जारी किया है। जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में प्रकाशसिंह ने अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया कि जैर निगरानी भूखण्ड उनके पुश्तैनी भूखण्ड है। ग्राम पंचायत ने निरीक्षण प्रपत्र जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेठी द्वारा किया जाकर तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त प्रपत्र रा.प. एवं न्याय प. सामान्य नियम 1961 के नियम 256 के तहत जारी किया है तथा उक्त प्रपत्र पर न तो ग्राम सेवक के हस्ताक्षर व मोहर है, न ही किस दिवस को तैयार किया गया है, दिनांक का अंकन है। जबकि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 145 से 168 तक के नियमों की पालना की जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपती इश्तिहार जारी किया गया है, उस पर पंचायत की मोहर नहीं है, न ही इश्तिहार कहां चस्पा किया गया है। इसका अंकन उसके पृष्ठ भाग पर नहीं हैं। पत्रावली संलग्न बयान गवाह के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही गवाहों के बयान हेतु एक ही प्रफोर्मा का उपयोग किया गया है तथा उसी

अति० जिला कलेक्टर, पाली

में गवाहों के नाम भरकर हस्ताक्षर करवाए गए है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अनदेखी की है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा शंकरसिंह पुत्र भोपालसिंह के हक में मिसल संख्या 24/2001–02 एवं संकल्प संख्या 3 (7) दिनांक 06.07.2009 की पालना में जारी पट्टा बुक संख्या 24 पट्टा संख्या 34 के द्वारा विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड भूखण्ड उसके पुश्तैनी भूखण्ड के कुछ भाग का जारी किया गया है। मिसल संख्या 24/2001–02 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम आदेशिका की दिनांक में कांट छांट की गई है तथा आगे की आदेशिकाएं समय–समय पर न कर उनमें करीब तीन–तीन साल का अंतराल के पश्चात लिखी गई हैं। जबकि प्रत्येक आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि पत्रावली आगामी बैठक में पेश हो, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो पंचायत नियमों के तहत मौका निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया है न ही स्वतंत्र गवाह के बयान ही अंकित किए गए है, न ही आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर ग्राम पंचायत की मोहर अंकित की है। जो कि ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। उक्त दोनों मिसलों एवं पट्टों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने दोनों पट्टे जारी करने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना नहीं की है।

परिणाम स्वरूप तीनों ही निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 73/2006–07 एवं संकल्प संख्या 5(2) दिनांक 26.02.2007 की पालना में जारी पट्टा संख्या 15 तथा मिसल संख्या 24/2001–02 एवं संकल्प संख्या 3 (7) दिनांक 06.07.2009 की पालना में जारी पट्टा पट्टा संख्या 34 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत शिवतलाव को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर जैर निगरानी आराजी के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। ग्राम पंचायत शिवतलाव को निर्णय की प्रति के साथ रेकर्ड प्रेषित किया जावें। निर्णय की प्रति पृथक पृथक रूप से पत्रावली के नत्थीबद्ध की जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली